उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान–कार्यालय,10–मालएवेन्यू, लखनऊ

परिपत्र संख्या–सी–89 / तक0प्र0 / निर्देशिका / 2017–18 दिनांक–05.02.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय–ऋण वितरण प्रकिया एवं अप्रेजल सम्बन्धी निर्देशिका ।

बदले हुए वाणिज्यिक परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि बैंक के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु त्वरित निर्णय लेकर कार्य सम्पादित किये जायें, किन्तु योजनाओं की तकनीकी व ऋण वितरण प्रकिया सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी न होने के कारण कतिपय शाखा–कर्मी या तो लाभार्थी को वापस कर देते हैं अथवा मुख्यालय से उक्त के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।परिणामतः बैंक के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ–साथ मुख्यालय का भी समय व्यर्थ होता है। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से **"ऋण वितरण प्रकिया एवं अप्रेजल"** सम्बन्धी मार्गदर्शिका आपको प्रेषित की जा रही है। इस मार्गदर्शिका में योजनाओं के संचालन, अप्रेजल व अभिलेखों के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया गया है कि शाखा के कर्मचारी / अधिकारी योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों के विषय में अपनायी जाने वाली प्रकिया व अप्रेजल से सम्बन्धी त्वरित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

इस मार्गदर्शिका में विभिन्न योजनाओं के अप्रेजल में दर्शाये गये ऑकड़ें मात्र उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये गये है। अतः समस्त शाखा कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि **योजनानुसार वास्तविक आगणन करते समय आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रचलित मूल्यों का प्रयोग करें ताकि लाभार्थी की ऋण भुगतान क्षमता आदि के आगणन के विषय में कोई त्रुटि न हो।**

यह निर्देशिका इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शाखा–कर्मी इसका समुचित उपयोग करना सुनिश्चित करें। निर्देशित किया जाता है कि निर्देशिका शाखा प्रबन्धक के चार्ज में रखी जाये तथा शाखा प्रबन्धक के स्थानान्तरण होने पर चार्ज–तालिका में उक्त निर्देशिका का चार्ज प्रतिस्थानी शाखा प्रबन्धक को विधिवत् प्राप्त कराया जाये। चूँकि निर्देशिका में दिया गया मार्गदर्शन ऋण वितरण प्रकिया,मूल्यांकन व ऋण भुगतान क्षमता के आगणन से सम्बन्धित है अतः प्रत्येक दशा में इसे फील्ड कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस दिशा में पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे और बैंक ऋण को गुणवत्ता एवं लाभकारी बनाने हेतु सहयोग करेंगे।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का सामयिक अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2–समस्त अधिकारीगण,प्रधान कार्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
3–मुख्य महाप्रबन्धक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,क्षेत्रीय कार्यालय,विभूति खण्ड,लखनऊ।

संलग्नक – मार्गदर्शिका

प्रबन्ध निदेशक